राजस्थान–सरकार

कार्यालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर

क्रमांक :– एल.ए. / एयरपोर्ट पार्ट–II / 15 / दिनांक :– 11/12/15

–: सार्वजनिक सूचना :–

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् किशनगढ़ हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विस्तार एवं विकास करने हेतु तहसील किशनगढ़ के ग्राम मदनगंज, राठौड़ों की ढाणी, व तहसील अजमेर के ग्राम जाटली व सराना की भूमियां पूर्व में अवाप्त भूमि में स्थित सड़क को बहाल करने, नहर निर्माण की पुर्नस्थापना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत भूमि अवाप्ति के आशय की राजपत्र में दिनांक 22.12.2014 को अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत भूमि का प्रतिकर भुगतान व कब्जा लेने हेतु निम्नांकित खातेदारों / हितबद्धधारियों के सूचनार्थ यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा रही है। इस सूचना के प्रकाशन की 30 दिवस की अवधि के भीतर हितबद्धधारी जो इस भूमि में अपना हित रखता हो, अपने किसी भी हित को प्रकट करना चाहता हो, निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना आक्षेप / आपत्ति लिखित में व्यक्तिगत अथवा अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है :–

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर

–: चस्पानगी / प्रचार–प्रसार की जाने वाली सामग्री का विवरण संलग्न है :–